कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

कमांक/बैठक/2019/7-25

दिनांक :: 27मार्च, 2019

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 8 मार्च, 2019 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 6 फरवरी, 2019 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 6 फरवरी, 2019 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 6 फरवरी, 2019 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 6 फरवरी, 2019 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जोन पश्चिम के सेक्टर संख्या 10, 11, 12, 13 व 14 कुल क्षैत्रफल–12558 हैक्टेयर (122.58 वर्ग किमी) के सेक्टर प्लान बनाये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी विरूद्व स्टेट ऑफ राजस्थान में दिनांक 12.01.2017 को निर्णय पारित किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्राधिकरण स्तर पर सेक्टर प्लान बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में कुल 4 जोन है जिनमें से वर्तमान में जोन पूर्व के सेक्टर प्लान का कार्य प्रकियाधीन है। वाप्कोस कम्पनी व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के मध्य हुए एग्रीमेन्ट अनुसार वाप्कोस कम्पनी द्वारा stage-1 Submission of Inception Report, stage-2 Submission of Inception Report including survey, stage-3 Submission of draft Zonal $ Sector Plan & stage-4 Submission of draft Zonal/Sector Plan after incorporating the recommendations of JoDa तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा आमजन द्वारा आपत्ति सुझाव हेतु प्रकाशित किया जा चुका है। आपत्ति सुझाव के कम में प्राधिकरण को 16 आपत्तियॉ प्राप्त हुई, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही प्राधिकरण द्वारा जोन–पश्चिम के सेक्टर प्लान बनाये जाने हेतु वाप्कोस WAPCOS कम्पनी द्वारा ही उक्त कार्यादेश की निरन्तरता में कार्य सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

जोन–पश्चिम के सेक्टर प्लान बनाये जाने बाबत पत्रावली एफ.टी.एस संख्या 12414 में सेक्टर प्लान 10, 11, 12, 13 व 14 कुल क्षैत्रफल–12258 हैक्टेयर (122.58 वर्ग कि.मी) बाबत् पत्रावली के पृष्ठ संख्या–10 पर जोन पश्चिम के बजट मद 500–02–012 में राशि 147.10 लाख का

पुन–विनियोजन दिया गया है। अतः प्रकरण में जोन–पश्चिम के सेक्टर संख्या–10, 11, 12, 13 व 14 कुल क्षैत्रफल–12258 हैक्टेयर (122.58 वर्ग किमी) के सेक्टर प्लान बनाये जाने के प्रस्ताव कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने बाबत प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पूर्व में जोन पूर्व के बनाये हुए सेक्टर प्लान को अधिसूचित करने की कार्यवाही करने तथा उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: भू–उपयोग आवासीय से शेक्षणिक प्रयोजनार्थ खसरा संख्या 182/1 कुल रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा

1– एजेण्डा नोट– ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 182/1 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि के वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/26/2018 आवेदक सुनील गहलोत पुत्र श्री स्व. छंवर सिंह एवं सत्यम् शिक्षण संस्थान जरिये श्रीमती संगीता गहलोत पत्नि श्री सुनिल, निवासी– बेरा चुतरावता, मगरा पूंजला, जोधपुर।)

2– आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आंमत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 06 सितम्बर, 2018 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 06 सितम्बर, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

3– सीनियर ड्राफ्ट मैन की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 182/1 का भू–उपयोग लैण्ड यूज प्लान 2023 जोधपुर के अन्तर्गत कार्यालय रिकॉर्ड में उलब्ध खसरानुसार उक्त खसरे के भू–उपयोग की जांच कर वर्तमान भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।

4– आवेदित भूमि की पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 182/1 (मूल) के भाग खसरा संख्या 182/1 रकबा 13 बिस्वा का स्वामित्व सुनील गहलोत पुत्र स्व. छंवर सिंह गहलोत के नाम है, एवं खसरा संख्या 182/4 रकबा 13 बिस्वा पर सत्यम् शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष श्रीमती संगीता गहलोत का स्वामित्व है। आवेदित भूमि का मौके रिपोर्ट अनुसार मौके पर विद्यालय भवन निर्मित एवं संचालित है। आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग पास स्थित बापू नगर आवासीय कॉलोनी को 25' सड़क से उलब्ध है, एवं भदवासिया की मुख्य सड़क से जोड़ता हुआ 30' फुट का रास्ता भी स्कूल से मिलता है।

5– आवाप्ति शाखा में आवेदित भूमि की आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है। एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

6– आवेदित भूमि आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 20 जुलाई, 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार शैक्षणिक गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित स्थल तक 60 फीट चौडी सडक उपलब्ध हो सकती है अथवा नहीं? इसकी जांच कर प्रकरण संपूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1799 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि के वर्तमान भू–उपयोग शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

1– एजेण्डा नोट– ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1799 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि के वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/68/2015 आवेदक श्री ओंकार सिंह टाक पुत्र श्री विद्याधर टाक, निवासी– लाल सागर, मण्डोर, जोधपुर।)

2– आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आंमत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 15 अगस्त, 2018 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 15 अगस्त, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

3– सीनियर ड्राफ्ट मैन की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1799 ग्राम मण्डोर जोधपुर मास्टर प्लान– 2023 में भू–उपयोग आवासीय श्रेणी में आरक्षित है। पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मण्डोर प्रथम के खसरा संख्या 1799 रकबा 10.12 बीघा प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। तथा मौके पर भूमि खाली है। 10.12 बीघा में से 5 बीघा का आवेदन प्रस्तुत किया है।

4– आवेदित भूमि आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 20 जुलाई, 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार शैक्षणिक गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 80 फीट करने की शर्त पर भू–उपयोग परिवर्तन करने तथा प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1799, 1799/1 रकबा 6900 वर्ग गज का आवासीय से ट्यूरिजम यूनिट में भू–उपयोग करने के संबंध में।

1– एजेण्डा नोट– ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1799, 1799/1 रकबा 6900 वर्गगज भूमि के वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से ट्यूरिजम यूनिट भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/21/2018 आवेदक ओंकार सिंह टाक , निवासी– चक्करवाला बेरा, मण्डोर, जोधपुर।)

2– आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आंमत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 14 सितम्बर, 2018 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 14 सितम्बर, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

3– आवेदित भूमि की पटवारी रिपोर्ट के अनुसार पत्रावली में संलग्न स्वामित्व दस्तावेज (जमाबंदी प्रति) अनुसार ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1799, 1799/1 कुल रकबा 11.08 बीघा पर आवेदक श्री ओंकार सिंह टाक का स्वामित्व है। जिसमें से कुल 6900 वर्गगज भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन आवेदक द्वारा आवेदन किया है।

4– आवेदित भूमि का मौका देखा गया। मौके पर भूमि पर चारदीवारी निर्मित है, जिसमें गार्डन व एक पक्का भवन निर्मित है एवं कुछ भाग पर कृषि फार्म किया गया है। आवेदित भूमि के आगे सड़क मार्गाधिकार 80 फीट है।

5– आवाप्ति शाखा में आवेदित भूमि की आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है। एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

6– आवेदित भूमि आवासीय से ट्यरिजम यूनिट भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक– प. 10(35)नविवि/3/2010 पार्ट जयपुर, दिनांक– 12.04.2018 प्रावधानुसार ट्यूरिज़म यूनिट गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 80 फीट करने की शर्त पर भू–उपयोग परिवर्तन करने तथा प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: ग्राम पन्ने सिंह नगर, कालीजाल के खसरा संख्या 133/2 रकबा 4 बीघा भूमि के वर्तमान भू–उपयोग अर्वड एरिया से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में।

1– एजेण्डा नोट– ग्राम पन्ने सिंह नगर, कालीजाल के खसरा संख्या 133/2 रकबा 04 बीघा भूमि के वर्तमान भू–उपयोग अर्बन ऐरिया से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/04/2018 आवेदक श्री दौलाराम शिक्षण संस्था बोरानाड़ा जरिये अध्यक्ष लक्ष्मण राम पुत्र श्री भंवर लाल, निवासी– बोरानाड़ा, लूणी, जिला–जोधपुर।)

2– आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आंमत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 06 सितम्बर, 2018 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 06 सितम्बर, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

3– सीनियर ड्राफ्ट मैन की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम पन्ने सिंह नगर, कालीजाल, जोधपुर का भू–उपयोग लैण्ड यूज प्लान–2023 जोधपुर के अन्तर्गत उक्त गांव अर्बन ऐरिया से बाहर स्थित है, परन्तु मास्टर डवलमेन्ट प्लान–2031 के अर्बन ऐरिया में शामिल है।

4— आवेदित भूमि की पटवारी रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि ग्राम पन्नेसिंह नगर, के खसरा संख्या 132/2 रकबा 4 बीघा खातेदार श्री दौलाराम शिक्षण संस्थान बोरानाड़ा जोधपुर जरिये अध्यक्ष लक्ष्मण राम पुत्र भवंरलाल जाति जाट निवासी— बोरानाड़ा के नाम दर्ज है। आवेदित भूमि लूणावास जाटान व कालीजाल मुख्य डामर सड़क पर स्थित है। भूमि मौके पर रिक्त है।

5— आवाप्ति शाखा में आवेदित भूमि की आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है। एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

6— आवेदित भूमि अर्बन ऐरिया से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक— 20 जुलाई, 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार शैक्षणिक गतिदिधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में आवेदित भूमि का वर्तमान भू—उपयोग अर्बन एरिया अंकित किया है जो वास्तव में ग्रामीण क्षैत्र है। अतः आवेदित स्थल का भू—उपयोग ग्रामीण क्षैत्र मानते हुए तदनुसार कार्यवाही की जावे।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखते हुए तथा सडक मार्गाधिकार में आने वाली भूमि निःशुल्क समर्पित करते हुए भू—उपयोग परिवर्तन करने तथा प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: भू—उपयोग प्रयोजनार्थ ग्राम डिगाडी खसरा संख्या 123 रकबा 1590.66 वर्ग गज आवासीय से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ

1— एजेण्डा नोट— ग्राम डिगाड़ी के खसरा संख्या 123 रकबा 1590.66 वर्गगज भूमि के वर्तमान भू—उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) भू—उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/16/2015 आवेदक श्रीमती प्रिया यादव पत्नि राजकुमार यादव , निवासी— 28, कन्हैया नगर, शिकारगढ, जोधपुर।)

2— आवेदकगण द्वारा भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आंमत्रित करने हेतु दो समाचार—पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक— 24 जुलाई, 2015 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक— 24 जुलाई, 2015 1में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

3— सीनियर ड्राफ्ट मैन की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम डीगाडी के खसरा संख्या 123 जोधपुर मास्टर प्लान—2023 में भू—उपयोग आवासीय श्रेणी में आरक्षित है। उक्त भूखण्ड शिकारगढ रोड़ (डिफेन्स लैब से बाई पास रोड़ को मिलाने वाली) उचियारड़ा गॉव को जाने वाली सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान— 2023 के अनुसार 120′ चौड़ा रखा गया है।

4— आवेदित भूमि की पटवारी रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है। एवं कनिष्ठ अभियन्ता के भौतिक मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर प्रस्तावित भूमि से 2 कि.मी. की

212

परिधि में अन्य कोई पेट्रोल पम्प मौके पर स्थित नहीं है, एवं मौके पर भूखण्ड खाली पाया गया है।

5– उक्त भूमि का पट्टा विलेख कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, उपायुक्त पूर्व द्वारा जारी दिनांक–06.09.2018 पट्टा क्रमांक– 11448 से जारी है। उक्त पट्टा उप पंजीयक (प्रथम) में दिनांक– 07.09.2018 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 771, पृष्ठ संख्या 30, क्रम संख्या 201803051105499 पर श्रीमती प्रिया यादव पत्नि श्री राजकुमार यादव के नाम से पंजीकृत किया गया है।

6– आवाप्ति शाखा में आवेदित भूमि की आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है। एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

7– आवेदित भूमि आवासीय से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 12 फरवरी, 2018 में उल्लेखित प्रावधानुसार पेट्रोल पम्प गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सडक के मध्य से 60 फीट (सड़क का मार्गाधिकार 120 फीट) छोड़ते हुए शेष भूमि का प्रस्ताव अनुसार पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने तथा प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: ग्राम हिंगोली में राजस्यान राडयविधुत प्रसाशा लिमीटेट को 3x1500 M.V.A, 765/400 K.V ग्रिड सबस्टेशन हेतु ग्राम हिंगोली तहसील लुणी जोन पश्चिम में खसरा नं. 169/1 में 400 बिधा भूमि आवटंन बाबत्।

विषयः– ग्राम हिंगोला में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लिमीटेड को 3ग1500 एम वी ए, 765/400 केवी जीएसएस सब स्टेशन हेतु ग्राम हिंगोला तहसील लूणी जोन पश्चिम में खसरा नं. 159/9 में 400 बीघा भूमि आवंटन बाबत्।

मैनेजिंग डायरेक्टर जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर के पत्रांक 650 दिनांक 14.1.2019 को नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स प्रस्तुत कर ग्राम हिगोंला में 765 /400 केवी जीएसएस हेतु 400 बीघा भूमि आवंटन करने की मांग की है।

उपरोक्त भूमि का मौका रिपोर्ट तहसीलदार पश्चिम व पटवारी पश्चिम से रिपोर्ट प्राप्त करने पर पटवारी द्वारा ग्राम हिंगोला खसरा नं 159/9 का रकबा 893.17 बीघा गै. मु. औरण की जमाबंदी अपना खाता से प्रस्तुत की है।

खसरा नं. 159/9 ग्राम हिंगोला का मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) में उपरोक्त खसरे की भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दर्शाया है। उक्त खसरे से मुख्य झंवर से पचपदरा जाने वाली सडक गुजरती है। आयोजनाशाखा में उपलब्ध आपत्ति सुझाव विश्लेषण अनुसर उक्त खसरे में विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त होना नही बताया है।

राज्य सरकार के आदेष कमांक प3(208)नविवि 03/95 पार्ट दिनांक 6.8.2009 के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले पावर टर्मिनर्स व विद्युत वितरण कंपनियो को भूमि उक्त क्षेत्र की प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने का प्रावधान है।

इस क्षेत्र की डीएलसी दर 45000 प्रति बीघा है एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की कार्यकारी समिति बैठक 22.12.2011 के प्रस्ताव सं. 12(1) के अनुसार गैर योजना क्षेत्र में आरक्षित दर एवं मास्टर प्लान मे वर्णित 72 गांव में नगरीय करण योग्य सीमा के बाहर स्थित क्षेत्र में आवासीय आरक्षित दर 1700/– प्रतिवर्गमीटर व मास्टर प्लान से बाहर परिधि नियत्रण पट्टी ग्रामीण क्षेत्र की 1200/– प्रतिवर्गमीटर आवासीय आरक्षित दर निर्धारित की गयी है। कार्यालय आदेश सं. 2612 दिनांक 2.7.2018 के अनुसार आरक्षित दर पुनः निर्धारण 3 वर्ष से पूर्व भी किया जा सकता है। यदि 3 वर्ष तक पुन निर्धारण नही किया जाता है तो प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात् 10 प्रतिशत की स्वतः वृद्वि करते हुए प्रकरणो में वसूली की जावें। अतः उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत वृद्वि करने पर इस क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर 1320/– प्रतिवर्गमीटर है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 3x1500 M.V.A, 765/400 K.V ग्रिड सब स्टेशन ग्राम हिंगोला की आवासीय आरक्षित रूपये 1320/– प्रति वर्ग मीटर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया तथा प्रकरण में भूमि आवंटन कर प्रस्ताव राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: ऑयल इण्डिया लिमिटेड जोधपुर द्वारा CSR Fund में Deposit योजना के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण परिसर में सार्वजनिक शोचालय ब्लॉक के निर्माण के संबंध में।

ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक उधम है। कम्पनी की सी एस आर के अर्न्तगत ऑयल इंडिया लिमिटेड समाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करती है।

सी एस आर योजना में इस वर्ष कम्पनी जोधपुर में एक सार्वजनिक सुलभ कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाना चाहती है। इस कार्य के लिए लगभग 500 वर्ग फीट (25X20) फीट) भूमि की आवश्यकता है। भूमि को जोधपुर विकास प्राधिकरण में एकल खिडकी के पास चिन्हीत कर लिया गया है।

ऑयल इंडिया लिमिटेड जोधपुर द्वारा CSR Fund में Deposit योजना के अर्न्तरगत जोधपुर विकास प्राधिकरण परिसर मे सार्वजनिक शोचालय ब्लॉक के निमाण के सम्बद्ध में निणर्य के सम्बद्ध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में एकल खिडकी के पास 500 वर्ग फीट (25 फीट गुणा 20फीट) भूमि पर ऑयल इंडिया लिमिटेड जोधपुर द्वारा CSR Fund में Deposit योजना के अर्न्तरगत जोधपुर विकास प्राधिकरण परिसर मे सार्वजनिक शोचालय ब्लॉक के निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण की वाम्बे योजना, आर.के. पुरम् चौखा में पेयजल वितरण प्रणाली बिछाने बाबत।

<table>
<tr><td>1</td><td>कार्य का नाम</td><td colspan="3">जोधपुर विकास प्राधिकरण की वाम्बे योजना, आर.के पुरम चौखा में पेयजल वितरण प्रणाली बिछाने बाबत्।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अनुमानित लागत</td><td colspan="3">पुनःप्रस्तुत तकमीना रू. 480.85 लाख (जन.स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से प्राप्त संलग्न तकमीना अनुसार)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>लांभावित क्षेत्र</td><td colspan="3">आर.के पुरम, चौखा, जोधपुर</td></tr>
<tr><td>4</td><td>योजना / गैर योजना</td><td colspan="3">योजना क्षेत्र</td></tr>
<tr><td rowspan="5">5</td><td rowspan="5">पूर्व में संपादित कार्यवाही</td><td>क्रम सं.</td><td>विवरण</td><td>राशि लाखो में</td></tr>
<tr><td>A</td><td>पीएचईडी,के अधिशाषी अभि. नगर खण्ड तृतीय के तृतीय के पत्र क्रमांक 1374, दिनांक 22.07.2014 से प्राप्त तकमीना राशि
(5% Contingency charge+ 17.5% Supervision Charge)</td><td>193.25</td></tr>
<tr><td>B</td><td>प्राधिकरण में दिनांक 30.07.2014 व 31.07.2014 को आयोजित E.C. Meeting में स्वीकृत प्रशासनिक एवं वितिय राशि (एजेन्डा नोट 06/12,Supervision Charge को हटाते हुए)</td><td>164.47</td></tr>
<tr><td>C</td><td>प्रथम किस्त के रूप में पीएचईडी में जमा करवायी गई राशि (दिनांक 10.11.2015)</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>D</td><td>पीएचईडी द्वारा अग्रिम कार्यवाही बिना Supervision Charge जमा करवाये,असमर्थता प्रकट की गई। जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.09.2017 को आयोजित E.C. Meeting में संशोधित प्रशासनिक व वितिय स्वीकृति जारी कर पीएचईडी को कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।
(Revised A&F vide letter no JDA/A&F/TA to DA/17-18/4151 Dated 05-10-2017)</td><td>193.25</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6">वर्तमान में संपादित की जा रही कार्यवाही</td><td>क्रम सं.</td><td>विवरण</td><td>राशि लाखो में</td></tr>
<tr><td>A</td><td>पीएचईडी,के अधिशाषी अभि. नगर खण्ड तृतीय के तृतीय के पत्र क्रमांक, 1978–81 दिनांक 27.06.2018 के द्वारा पुनः प्राप्त तकमीना
(उक्त संशोधित तकमीना PHED Chief Engineer (Urban & NRW) jaipur के पत्रांक 48919–921 दिनांक 05.12.2017 के निर्देशो में बनाया गया।)</td><td>480.85</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Salient feature of the proposal with Abstract of Cost Received from PHED</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Pipe line work (100,150,200,400 mm DI K-7 length - 5457 mt.)</td><td>107.65</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Elevated Service Reservoir (1Nos,700KL(0.7 MLD) Newly added item</td><td>92.35</td></tr>
</table>

812

		3	Provision for Rising Main line (300mm DI K-7 length 2100 mt)	71.38
		4	Booster pumps(Newly added item)	4.56
		5	Share Cost(Newly added item)	108.80
		6	Electric connection at pumps house(Newly added item)	5.0
			Sub Total	389.74
			Add 5% contingency Charge	19.49
			Total	409.23
			Add 17.5% Supervision Charge	71.62
			G.Total	480.85

पीएचईडी द्वारा प्राप्त पुनः तकमीना की प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की गई कार्यवाही मूल पत्रावली के पैरा स. 92 से 110 में अंकित है। कार्य की उपयोगिता को देखते हुए कार्य की आवश्यक प्रशासनिक व वितिय स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट कार्यवाही समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2018/ भाग–9/ कार्यकारी समिति की बैठक पत्रावली) के पैरा संख्या ………../एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2019/725–742

दिनांक :: 27 मार्च, 2019

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
06. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर

07. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

परिशिष्ट–1

दिनांक 8 मार्च, 2019 को 11.00 बजे श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती सीमा कविया, अतिरिक्त कलक्टर–शहर, जोधपुर
2. श्री गौरव सैनी, उपायुक्त (मुख्यालय), नगर निगम, जोधपुर
3. श्री भानूप्रताप, उप निदेशक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
4. श्री संजीव माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
5. श्री श्रवण कुमार दाधिच, प्रबन्धक (सीबीएस), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, लिमिटेड, जोधपुर
6. श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. श्री जगदीश कुमार, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री लक्ष्मणराम विश्नोई, सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री ओ.पी. विश्नोई, (उपायुक्त–दक्षिण), सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर